(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 395-दो/2009 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-03-2009 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 63/2008-09 निगरानी

खलीलुद्दीन पुत्र अब्दुल हफीज

निवासी अमहिया, रीवा तहसील हुजुर

जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- सलमा वेगम पत्नि मरहूम शौकत हुसैन

2- इस्तियाक हुसैन पुत्र रूस्तम हुसैन

निवासीगण अमहिया बार्ड-17 तहसील

हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश

3- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

(अनावेदक क-1,2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 63/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03-03-2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि नजूल जॉच अधिकारी रीवा ने प्रकरण कमांक 712 अ-20/1969-70 में जॉच करके रीवा नगर स्थित शीट कमांक 2026 के भूखंड कमांक 37 रकबा 3919-24 वर्गफुट के सम्बन्ध में कलेक्टर रीवा को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 91 अ - 20(1) 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 6-9-1996 से उक्त भूखंड अनावेदक कमांक एक एंव दो को पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर रीवा के आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की।** आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा ने प्रकरण कमांक 63/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03-03-2009 से निगरानी अवधि वाह्य प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1, 2 को बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने एंव सूचना पत्र के सम्यक निर्वहन के अभाव को मानते हुये पॅजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित हैं जिसके कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव **कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 91 अ - 20(1) 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 6-9-1996 के अवलोकन से स्पष्ट है विचाराधीन मामला रीवा नगर स्थित नजूल की शीट कमांक 2026 के भूखंड कमांक 37 रकबा 3919-24 वर्गफुट** को पटटे पर दिये जाने पर आधारित है। नजूल भूमि के पटटे के प्रकरण पर राजस्व मण्डल को सुनवाई के अधिकार हैं अथवा नहीं - पर विचार किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार- कमांक-1 के अंतर्गत नजूल भूमियों के सम्बन्ध में शासकीय अनुदेशा प्रसारित है और इन्हीं नियमों के अंतर्गत नजूल पटटों का प्रदान किया जाता है तथा नजूल पटटों का नवीनीकरण किया जाता है । इन नियमों के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्व कंडका 18 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :-

कंडिका 18 - अभ्यावेदन - Reoresentation

1. नजूल अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व कलेक्टर को,
2. कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्व आयुक्त को,
3. आयुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व राज्य शासन को।

स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत होगा , जिसके कारण विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रचलन योग्य एंव श्रवण योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन योग्य एंव श्रवण योग्य न पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर